भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 646

उत्तर देने की तारीख 25.07.2024

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

†646. **श्री राजीव रायः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कार्यक्रम हेतु बजट परिव्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम की सहायता से मऊ और बलिया जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अलग-अलग विवरण के साथ) में कितने लाभार्थियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं;

(घ) इस कार्यक्रम से मऊ और बलिया जिलों में सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्रीमती शोभा करंदलाजे)

(क) एमएसएमई मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से देश भर में उद्यमियों को गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके स्थान पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। इसके अलावा, सामान्य श्रेणियों के लाभार्थी 10% परियोजना लागत का योगदान करते हैं जबकि विशेष श्रेणियों के लाभार्थी 5% परियोजना लागत का योगदान करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है।

वर्ष 2018-19 से बेहतर प्रदर्शन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन और विस्तार के लिए 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20%) की सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपये तक की दूसरी वित्तीय सहायता शुरू की गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी संवितरण के रूप में किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**किया गया व्यय (संवितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी करोड़ रुपये में)**
2021-22	**411.6**
2022-23	**378.7**
2023-24	**435.3**

(ग) मऊ और बलिया जिलों में पीएमईजीपी की सहायता से अपनी इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों की संख्या (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विवरण):

पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान मऊ जिले में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन:

वित्तीय वर्ष	**ग्रामीण**		**शहरी**		**कुल**	
	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	**एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**
2021-22	84	322.60	5	11.85	**89**	**334.46**
2022-23	96	403.94	20	58.15	**116**	**462.09**
2023-24	88	391.13	23	64.52	**111**	**455.66**

पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान बलिया जिले में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन:

वित्तीय वर्ष	**ग्रामीण**		**शहरी**		**कुल**	
	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	**एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**
2021-22	190	664.18	19	44.07	**209**	**708.26**
2022-23	142	561.92	18	45.25	**160**	**607.17**
2023-24	111	401.02	11	32.31	**122**	**433.33**

(घ) मऊ एवं बलिया जिलों में पीएमईजीपी द्वारा सृजित रोजगार का विवरण:

विगत तीन वित्तीय वर्षों में मऊ जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित अनुमानित रोजगार:

वित्तीय वर्ष	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**सृजित अनुमानित रोजगार**
2021-22	89	**712**
2022-23	116	**928**
2023-24	111	**888**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बलिया जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित अनुमानित रोजगार:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार
2021-22	209	**1,672**
2022-23	160	**1,280**
2023-24	122	**976**

(ङ) एवं (च): पीएमईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के नाते मऊ और बलिया जिलों सहित पूरे देश में भावी उद्यमियों को मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी प्रदान करके रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है।

एमएसएमई मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 से मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपये तक के दूसरे ऋण पर वित्तीय सहायता भी शुरू की है, जिसमें 15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20%) की मार्जिन मनी सब्सिडी शामिल है। दूसरे ऋणों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले सफल ऋण लाभार्थियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

अधिक लाभार्थियों को शामिल करने तथा रोजगार सृजन के लिए उक्त जिलों सहित पूरे देश में सरकार द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
ii. आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।
iii. इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।
iv. कोविड वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते हुए छूट दी गई है।
v. 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए कोई अनिवार्य ईडीपी नहीं तथा 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण की छोटी अवधि (5 दिन तक) होगी।
vi. भावी उद्यमियों के बीच स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं।
vii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार-प्रसार।
viii. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।
ix. युवाओं और भावी उद्यमियों में जागरूकता सृजित करने के लिए प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु विभिन्न कार्यकलापों पर वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।
x. इस स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो जिंगल बनाए गए हैं।

***